कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः— 3085 / 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, फरवरी, 27 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।

विषयः— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड—पोखड़ा के अन्तर्गत कुण्जखाल—बरसुण्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून की पत्र सं0—2208/FP/UK/ROAD/20557/2016 दिनांक 23.02.2021 एवं आपकी पत्र संख्या 435 / 2 भू0अ0, दिनांक 08 / 04 / 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0—08बी / यू.सी.पी. / 06 / 53 / 2020 / एफ.सी. / 2324, दिनांक 19.02.2021 से कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0—1459 / 3—5—2, दिनांक 01.07.2021 के क्रम में निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको इस कार्यालय की पत्र सं0 1608 / 12—1, दिनांक 10.11.2022 से जमा करने हेतु लिखा गया था। परन्तु आपने अपनी पत्र सं0 269 / 2भू0आ0, दिनांक 20.02.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव एवं एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों के अनुसार जमा की जानी है, जिसे आपके पुनः निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा हैः—

1— क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण—

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	— 1.575X 2 = 3.15 है0	
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	— रू0 4,07,992.00	
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	— 3.15X 4,07,992 =	12,85,174.80
		या रू0 12,85,175.00

(₹ बारह लाख पिच्चासी हजार एक सौ पिचहत्तर) मात्र

2— ए एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या—5—3 / 2007—एफ0सी0, दिनांक 05—02—2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः—

ईको क्लास	—	V^{th}
हरियाली का घनत्व	—	0.2
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	—	रू0 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	—	1.575 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	—	1.575 X 6,57,000.00 = 10,34,775.00

(रू0 दस लाख चौतीस हजार सात सौ पिचहत्तर) मात्र

P.T.O.

उपरोक्तानुसार मदवार धनराशि का संशोधित डिमाण्ड नोट पुनः आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप डिमांड नोट की धनराशि मदवार जमा करने पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रश्न एवं उत्तर में बनाकर 05 मूल हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय प्रेषित करते हुये ऑन लाईन अपलोड की कार्यवाही भी करायें।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 3085 / 12-1 ,दिनॉकित ।

1—**प्रतिलिपिः**— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2—**प्रतिलिपिः**— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
3—**प्रतिलिपिः**— जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।